न्यायालय भू–अभिलेख अधिकारी, चूरू कैम्प सोमासी
पीठासीन अधिकारी श्री उगमसिंह राजपुरोहित, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः / 2023 दिनांक :– 28.06.2023

अनुवानी

राजस्थन सरकार सोहनसिंह आदि

आदेश

प्रार्थाना प्रत्र अन्तर्गत धारा 131,132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58,59,60,66 और 86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, सहमती पत्र अनापति प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत थैलासर मौक रिपोर्ट पटवारी हल्का खासोली परिशिष्ठ–ए एवं अभिशंसा तहसीलदार चूरू का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया। जिसके अनुसार रोही ग्राम उण्टवालिया खसरा नम्बर 606 / 486, 488 / 371, 503 / 371, 966 / 487 में मौके पर रास्ता चालू है परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का अंकन नहीं है सम्बन्धित पटवारी हल्का ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी पूराने समय से चालू बताया है साथ ही अभिशंसा की है इस प्रकार यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार चूरू को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो रोही ग्राम उण्टवालिया तहसील चूरू के खसरा नम्बर 606 / 486, 488 / 371, 503 / 371, 966 / 487 में से मौके पर चालू रास्ते का संलग्न राजस्व नक्शे एवं परिशिष्ट– 'ए' में वर्णितानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावें एवं पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

यह आदेश आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

(उगमसिंह राजपुरोहित)
भू–अभिलेख अधिकारी, चूरू
एवं शिविर प्रभारी,
प्रशासन गांवो के संग
अभियान–2023, चूरू